अधिसूचना सं0 13/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (जजज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कराधान बिन्दु नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

2. कराधान बिन्दु नियम, 2011 में,--

(क) नियम 7 में,--

(i) "इन नियमों में अन्तर्विष्ट" शब्दों के स्थान पर "नियम 3, नियम 4 या नियम 8 में अन्तर्विष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु जहां बीजक की तारीख के तीन मास के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां कराधान बिन्दु तीन मास की उक्त अवधि के ठीक पश्चात् की तारीख होगी :";

(ख) नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10. नियम 7 के पहले परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी ऐसी सेवा की बाबत, जिसके लिए कराधान बिन्दु नियम 7 के अधीन अवधारित किया जाता है, बीजक 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व जारी किया गया है किन्तु उक्त दिवस को संदाय नहीं किया गया है, तो कराधान बिन्दु,-

(क) यदि संदाय बीजक की तारीख के छह मास की अवधि के भीतर किया जाता है तो वह तारीख होगी जिसको संदाय किया जाता है ;

(ख) यदि संदाय बीजक की तारीख के छह मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो इस प्रकार अवधारित किया जाएगा मानो नियम 7 और यह नियम विद्यमान नहीं है ।"।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 175(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 18/2011-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 479(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा, अधिसूचना सं. 37/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।